50

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

## समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

## सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 321—दो/2017 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 11—08—16 के द्वारा तहसीलदार तहसील सिहावल जिला सीधी म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक 232/अ—27/2015—16.

.....

1.अनार कली पत्नी स्व0 भरतलाल वानी
2.संगमलाल वानी पिता स्व0 भरतलाल वानी
निवासीगण ग्राम अमिलिया तहसील सिहावल
जिला सीधी म0प्र0

.....आवेदकगण

**विरूद्ध**

1.मु0 शकुन्तला वानी पत्नी स्व0 शंकरलाल वानी
2.संतोष कुमार वानी पिता स्व0 शंकरलाल वानी
3.सुनील कुमार वानी पिता स्व0 शंकरलाल वानी
4.शरद कुमार वानी पिता स्व0 शंकरलाल वानी
निवासीगण ग्राम अमिलिया तहसील सिहावल
जिला सीधी म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक अनावेदकगण

.....

**आदेश**

(आज दिनांक 11.01.2018 को पारित )

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 जिसे (आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार तहसील सिहावल जिला सीधी के आदेश दिनांक 11.08.16 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2—प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक शकुंतला वेवा शंकरलाल आदि द्वारा म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 178/70 के तहत आवेदन पत्र बटवारा हेतु पेश

किया गया। इस्तहार जारी किया गया तथा उभयपक्ष को सूचना एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये बटवारा आदेश दिनांक 11.8.2016 द्वारा स्वीकार कर आदेश पारित किया गया। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय में इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि आराजी क्रमांक 1440/2 रकवा 0.032 है0 में पुनरीक्षणकर्ता संयुक्त रूप से 1/2 व 1/2 हिस्से भूमि स्वामी है तथा उक्त आराजी के दक्षिणी भाग पर पुनरीक्षणकर्तागण का मकान एवं दुकान लगभग 40 वर्ष से संचालित है तथा उक्त आराजी के उत्तर तरफ बना मकान बैंक उपयोग हेतु दिया गया था। परन्तु हल्का पटवारी द्वारा बैंक को दियें गये मकान का बटवारा प्रपत्र तैयार न कर गैर पुनरीक्षणकर्तागण के प्रभाव में आकर बटवारा पत्रक तैयार किया गया है। उसी को आधार मानकर तहसीलदार द्वारा कब्जा के प्रतिकूल आदेश पारित कर दिया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदकगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह भी आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मौके से कब्जा व स्वत्व के आधार पर बटवारा आदेश पारित किया जाय। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी क्रमाक 1440/2 रकवा 0.032 है0 में गलत व अनावेदकगण के प्रभाव में आकर आवेदकगण का नाम आराजी क्रमांक 1440/2/1 रकवा 0.004 व 1440/2/3 रकवा 0.012 है0 बटांक कर दिया गया है तथा अनावेदगण के नाम आराजी क्रमांक 1440/2/2 रकवा 0.016 है0 बटा नम्बर कायम कर बटवारा एवं नक्शा तरमीम का विधि विरूद्व आदेश पारित कर दिया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश पत्रिका दिनांक 10.8.16 को यह लेख किया गया कि प्रकरण अवलोकन एवं आदेश हेतु दिनांक 12.9.16 को नियत है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित दिनांक 12.8.16 के पूर्व दिनांक 11.8.16 को ही अंतिम आदेश पारित कर दिया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि अनावेदकगण के प्रभाव में आकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण की आपत्ति एवं सुवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया है जो विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि जो बटवारा हुआ है वह सही है। उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि तहसीलदार द्वारा जो आदेश पारित किया है विधि प्रकिया द्वारा पारित किया गया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त कर तहसीलदार का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई थी कि आराजी क्रमांक 1440/2 रकवा 0.032 है0 में आवेदकगण संयुक्त रूप से 1/2 व 1/2 हिस्से भूमि स्वामी है तथा उक्त आराजी के दक्षिणी भाग पर पुनरीक्षणकर्तागण का मकान एवं दुकान लगभग 40 वर्ष से संचालित है तथा उक्त आराजी के उत्तर तरफ बना मकान बैंक उपयोग हेतु दिया गया था। परन्तु हल्का पटवारी द्वारा बैंक को दिये गये मकान का बटवारा प्रपत्र तैयार किया गया है। उसी को आधार मानकर तहसीलदार द्वारा कब्जा के प्रतिकूल आदेश पारित कर दिया गया है। आवेदकगण के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में यह भी आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया गया था, मौके से कब्जा व स्वत्व के आधार पर बटवारा आदेश पारित किया जाय। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी कमाक 1440/2 रकवा 0.032 है0 में गलत आवेदकगण का नाम आराजी कमांक 1440/2/1 रकवा 0.004 व 1440/2/3 रकवा 0.012 है0 बटांक कर दिया गया है तथा अनावेदगण के नाम आराजी कमांक 1440/2/2 रकवा 0.016 हैं0 बटा नम्बर कायम कर बटवारा एवं नक्शा तरमीम का विधि विरूद्व आदेश पारित कर दिया गया है, प्रकरण में पृष्ठ 19 पर संलग्न फर्द बटवारा का अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदकगण के उसमें सहमति के हस्ताक्षर नहीं है, आवेदकगण के अधिवक्ता का यह तर्क मानने योग्य है। तहसीलदार द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें आवेदकगण को साक्ष्य का अवसर प्रदान करना चाहिये था। अतः तहसीलदार का आदेश त्रुटिपूर्ण हाने से स्थिर रखने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील सिहावल जिला सीधी म0 प्र0 के प्रकरण क्रमांक 232/अ–27/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11.8.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार सिहावल को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्ष को सूचना एवं सुनवाई का अवसर करते हुये आदेश पारित करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर